न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)
कैम्प कोर्ट राष्ट्रीय लोक अदालत कोर्ट परिसर डीग

प्र0सं0 20 / 2024 (जी.सी.एम.एस.नम्बरः 2024 / 224) पीठासीन अधिकारीः—श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. तेज सिंह
2. उदय सिंह
3. विनोद कुमार
4. सत्यप्रकाश

पुत्रगण बीधाराम जातियान जाट नि0 ग्राम निगोही तहसील व जिला डीग(राज0)

5. प्रेमवती पत्नी स्व0 श्री बीधाराम जाति जाट नि0 निगोही तहसील व जिला डीग(राज0)

—प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 08.03.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बरान 1110 / 0.15, 787 / 0.51, 1360 / 0.64, 1096 / 0.33, 1072 / 0.29, 1073 / 0.36, 1074 / 0.21, 1085 / 0.11, 1157 / 0.14, 1184 / 0.09, 1323 / 0.14, 1361 / 0.39, 140 / 0.14, 1487 / 0.34, 1489 / 0.52, 160 / 0.16, 1654 / 0.01, 1712 / 0.18, 234 / 0.14, 240 / 0.23, 683 / 1.12, 740 / 0.08, 744 / 0.20, 755 / 0.14, 772 / 0.32, 805 / 0.53, 912 / 0.94, 259 / 1.06, 257 / 0.29, 1158 / 0.11, 1653 / 1.18, 1490 / 0.42, 1486 / 0.52 वाके ग्राम निगोही तहसील डीग में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण के पिता अपने जीवनकाल में वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहे। उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता व पति स्व0 बीधाराम की जाति जाट है और प्रार्थीगण के पूर्वज भी जाट जाति से है। लेकिन वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के पिता व पति स्व0 बीधाराम की जाति जाट के स्थान पर ठाकुर दर्ज की जा रही है तथा आराजी खसरा नम्बर 1653 में प्रार्थीगण के दादा कन्हैया पुत्र ग्यासी की जाति भी जाट के स्थान पर ठाकुर दर्ज की जा रही है। जबकि प्रार्थीगण के पिता स्व0 बीधाराम के नाम ग्राम निगोही में अन्य खाता संख्या 475, 473, 474, 601, 328, 329, 470, 327, 326 और है जिसमें सही जाति जाट दर्ज की जा रही है। उक्त वर्णित आराजी में गलत तरीके से लिपिकीय त्रुटिवश जाति ठाकुर दर्ज है। प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेज में भी जाति जाट है। प्रार्थीगण के पिता व पति स्व0 बीधाराम की जाति जाट के स्थान पर ठाकुर दर्ज होने से प्रार्थीगण के नाम विरासत का नामा0 दर्ज नहीं हो पा रहा है तथा प्रार्थीगण अन्य लाभों से वंचित हो रहा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर कि आराजी खसरा नम्बरान

Scanned with OKEN Scanner

1110/0.15, 787/0.51, 1360/0.64, 1096/0.33, 1072/0.29, 1073/0.36, 1074/0.21, 1085/0.11, 1157/0.14, 1184/0.09, 1323/0.14, 1361/0.39, 140/0.14, 1487/0.34, 1489/0.52, 160/0.16, 1654/0.01, 1712/0.18, 234/0.14, 240/0.23, 683/1.12, 740/0.08, 744/0.20, 755/0.14, 772/0.32, 805/0.53, 912/0.94, 259/1.06, 257/0.29, 1158/0.11, 1653/1.18, 1490/0.42, 1486/0.52 वाके ग्राम निगोही तहसील डीग के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता व पति स्व0 बीधाराम पुत्र कन्हैया की जाति ठाकुर के स्थान पर जाट दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे एवं खसरा नम्बर 1653/1.18 हैक्टे. स्थित ग्राम निगोही तहसील डीग में प्रार्थीगण के बाबा कन्हैया पुत्र ग्यासी की जाति ठाकुर के स्थान पर जाट दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी **अन्तर्गत धारा 136** एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थी/तहसीलदार डीग को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार डीग ने पत्रांकः एलआर/2024/2661 दिनांक 29.10.2024 में अंकित किया गया है कि "जमाबन्दी सम्बत 2022–25 में प्रार्थीगणों के बाबा कन्हैया वल्द ग्यासी के जाति ठाकुर दर्ज है किन्तु जमाबन्दी सम्बत 2013–16 में कन्हैया वल्द ग्यासी की जाति सिनसिनवार दर्ज है। जमाबन्दी सम्बत 2022–25 में सिनसिवार शब्द छोड दिया गया है। जॉच में पाया गया कि सिनसिनवार जाति जाट में एक गोत्र है। प्रार्थीगण की जाति जाट ही है।"

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रार्थीगण की जाति ठाकुर के स्थान पर जाट किये जाने क आदेश फरमायें।

वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। आराजी खसरा नम्बरान 1110/0.15, 787/0.51, 1360/0.64, 1096/0.33, 1072/0.29, 1073/0.36, 1074/0.21, 1085/0.11, 1157/0.14, 1184/0.09, 1323/0.14, 1361/0.39, 140/0.14, 1487/0.34, 1489/0.52, 160/0.16, 1654/0.01, 1712/0.18, 234/0.14, 240/0.23, 683/1.12, 740/0.08, 744/0.20, 755/0.14, 772/0.32, 805/0.53, 912/0.94, 259/1.06, 257/0.29, 1158/0.11, 1653/1.18, 1490/0.42, 1486/0.52 वाके ग्राम निगोही तहसील डीग के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता व पति स्व0 बीधाराम पुत्र कन्हैया की जाति ठाकुर के स्थान पर जाट दर्ज किये जाने की मांग की गई है। तहसीलदार की जॉच में भी प्रार्थीगण की जाति ठाकुर के स्थान पर जाट होना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बरान 1110/0.15, 787/0.51, 1360/0.64, 1096/0.33, 1072/0.29, 1073/0.36, 1074/0.21, 1085/0.11, 1157/0.14, 1184/0.09, 1323/0.14, 1361/0.39, 140/0.14, 1487/0.34, 1489/0.52, 160/0.16, 1654/0.01, 1712/0.18, 234/0.14, 240/0.23, 683/1.12, 740/0.08, 744/0.20, 755/0.14, 772/0.32, 805/0.53, 912/0.94, 259/1.06, 257/0.29, 1158/0.11, 1653/1.18, 1490/0.42, 1486/0.52 वाके ग्राम निगोही तहसील डीग के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता व पति स्व0 बीधाराम पुत्र कन्हैया की जाति ठाकुर के स्थान पर जाट दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को भिजवाई जावे।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

निर्णय आज दिनांक 08.03.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प डीग में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

Scanned with OKEN Scanner